राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 13 NOV 2024

सं. एफ. 2(42)वित्त/कर/2009-100:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 2(42)वित्त/कर/2009-100 दिनांक 14.10.2024 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 14, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सरकार की किसी सरकारी कंपनी, निगम, सोसाइटी या राजस्थान विधान सभा द्वारा अधिनियमित अधिनियम के द्वारा या के अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा लोक सेवा के प्रयोजन के लिए या राज्यहित में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के साथ नये ऋणों के साथ-साथ विद्यमान ऋणों के नवीनीकरण के लिए, 31.03.2030 तक निष्पादित किये जाने वाले ऋण करार की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(सं. एफ. 2(42)वित्त/कर/2009-100)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(डॉ. खुशाल यादव)
संयुक्त शासन सचिव"

A. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को साफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) मे प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
6. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

B. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी कंपनियों, निगमों, सोसायटियों, विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगरपालिकाओं को इसकी सूचना देवें :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन विभाग।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।

संयुक्त शासन सचिव